जंगल

मुद्दा : वन पंचायत एवं महिला अधिकार

समस्या - हमारी वन पंचायत बहुत ही बड़ी है (काफी फैली है) और 11 गाँवों की है। काफी पुरानी है।

=> मैं उसमें पंच हूँ लेकिन आज तक मुझे किसी भी बैठक में नहीं बुलाया है। 5 वर्ष होने वाले हैं।

=> वन पंचायत की अब तक कोई बैठक नहीं हुई है। कम से कम मेरी जानकारी में नहीं है। अंदर ही अंदर सरपंच कुछ पंचों के साथ बैठक कर लेता है। ऐसा पता चला है।

=> कोई पारदर्शिता नहीं है। कितना पैसा आया, कहाँ गया, कुछ पता नहीं।

=> हम अपने पास वाला जंगल खुद ही संभालते हैं पिछले 10-11 वर्षों से

=> चौकीदार से संभाल नहीं होती।

=> 10-11 वर्ष पहले जंगल की हालत बहुत ~~खब~~ खराब हो गई थी। हमें पतेल लेने, घास लेने बहुत दूर जाना पड़ता था। खेती के लिए पूरा नहीं होता था।

=> शिकायत की, कुछ नहीं हुआ। तब हमने अपने जंगल की खुद ही देखभाल शुरू की और आज तक कर रहे हैं।

=> पंच हैं जंगल से महिला ही बहुत गहराई से जुड़ी है, वही हम सभी ~~म~~ महिलाएं जंगल की देखभाल भी करती हैं, लेकिन ~~सरवा~~ सिर्फ जिम्मेदारी है, अधिकार हैं ही नहीं।

=> वन पंचायत बहुत बड़ी है, इसलिए इसकी व्यवस्था बहुत ही कठिन है। हमारे पास जो जंगल है (इसी वन पंचायत के एक हिस्सा) जिसकी हम देखभाल कर रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से, उसको हम एक अलग वन पंचायत बनाना चाहते हैं। पर ~~जानकारी~~ ~~इसकी~~ [illegible] प्रक्रिया काफी जटिल है।

=> जंगल के बिना हम महिलाओं का गुजारा नहीं। हम दूर के जंगल में नहीं जा सकते। कार्यबोझ वैसे ही बहुत अधिक है। ~~भू~~ मैं मेरी उम्र भी अधिक है। मैं काफी थक जाती हूँ।

=> हमारी पारम्परिक खेती चौड़ी पत्ती के जंगल के बिना बहुत मुश्किल है।

(2)

प्रयास : (1) पांच गांव की इन महिलाओं ने (तोला, मंगरू, सेला, काफली, कोटिला) (ग्राम पंचायत : काफलीखान, धसपड़) कई बैठके की
- अपने व सभी आसपास के गांवों में, और अपने जंगल को बचाने का अभियान शुरु किया। इसे बंद रखा कई वर्ष, अब कम्पार्ट खोलते है, कुछ समय। नियम कानून बनाए, सख्ती से लागू किया।
- सरपंच की शिकायत के लिए तहसील गए (समूह की महिलाएं) पर उन्होंने नहीं सुना, ~~एस~~ सरपंच से मिलने घर गए, वह नहीं मिला,
- चिंतन संस्था की मदद से समूह बनाए, बैठके की, वन पंचायत पर कार्यशाला की। जानकारी बढ़ाई।
- RTI दाखिल की पर ठीक जगह नहीं पहुंची। फिर करेंगे।
- उपतहसीलदार से मिले और उससे अपना हिस्सा अलग करने की बात की। उसने प्रस्ताव लाने के लिए बोला है, प्रधान / सभापति से।

उपलब्धि
- हमारा अपना जंगल बहुत अच्छा बन गया है। इसे देख अन्य गांवों (6-7 कम से कम) के लोगों ने जंगल बचाने के प्रयास शुरु ~~किए~~ कर दिए हैं।
-

मांग : (1) वन पंचायत चुनाव ~~के बा~~ की प्रक्रिया के बारे में महिला पंचों एवं महिलाओं को विशेष रूप से जानकारी मिलनी चाहिए।

(2) वन पंचायत कानून / नियमावली संबंधि जानकारी के लिए सरकार द्वारा हर वर्ष कार्यशाला आयोजित होनी चाहिए और उसमें महिला पंचों एवं महिला सरपंच का होना ~~अनिवार्य~~ अनिवार्य होना चाहिए

(3) ~~-~~ वन अधिकारी द्वारा वन पंचायत ~~के~~ में पूर्ण निगरानी होनी चाहिए और ~~इसक~~ नियम कानून का पालन हो रहा है या नहीं, यह उसे सुनिश्चित करना चाहिए।

(4) वन पंचायत की बैठकों में महिला पंच एवं दलित / पिछड़े वर्ग की ~~०~~ उपस्थिति के बिना बैठक का

कोरम पूर्ण नहीं माना जाना चाहिए।

(5) बड़ी वन पंचायतों में परेशानी होने पर, उसी वन पंचायत के अलग-अलग हिस्से करने की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए।

(3)

केस स्टडी संबंधित महिला की जानकारी

(1) submitting organisation: CHINTAN

(2) ADDRESS: चिमचिमपानी, सुरभ्ञान, P.O सरगाखेत, मुक्तेश्वर, जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड

(3) Name and contact detail of co-ordinator

⇒ Dr Reetu Sogani

⇒ Asha Bharti (field co-ordinator)

ADDRESS: same as above.

(4) Name of the respondent

GOVINDI DEVI.

(5) मंगरू गाँव

ग्राम पंचायत : काफली

उम्र : 65

वैवाहिक स्थिति : पति की मृत्यु

धर्म : हिंदु

समूह : गौरा देवी समूह

संस्था : चिंतन -